

नरेन्द्र कुमार सिंह, मा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

● उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
3. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. श्री मिथिलेश कुमार साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
5. डॉ० रविन्द्र नाथ, सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, मुंगेर।
6. डॉ० आजाद शहाबुद्दीन, व०उ०समा०, जिला आपूर्ति कार्यालय, मुंगेर।
7. श्री आलोक कुमार, व०उ०समा० प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
8. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, मुंगेर।
9. श्री के०के० यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
10. श्री अहसान अहमद, व०उ०समा० प्रभारी, जिला विकास।
11. श्री विरेन्द्र कुमार, व०उ०समा० प्रभारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर।
12. श्री रमेश कुमार, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।

● अवकाश अथवा किसी अन्य कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

13. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
14. मो० मुर्शीद आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
15. श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
16. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर।
17. श्री भानू प्रकाश, प्रभारी व०उ०समा०, आपदा प्रबंधन, मुंगेर।
18. श्रीमती मीरा सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
19. श्री रविशंकर उरॉव, व०उ०समा० प्रभारी, जिला विधि।
20. श्री नीतीश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर।

सर्वप्रथम निदेश दिया गया कि पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्राथमिकता आधारित विभागीय कार्यों की साप्ताहिक कार्य योजना तैयार कर उसकी शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित किया जाए। तत्पश्चात् विभागवार महत्वपूर्ण प्राथमिकता आधारित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

1. प्रत्येक सोमवार को निर्धारित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी निश्चित रूप से समय पर उपस्थित रहेंगे तथा विशेष परिस्थिति में ही अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़ेंगे। आगामी बैठक में इसका अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
2. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि०, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। यद्यपि किसी भी नामित वरीय उपसमाहर्ता द्वारा बैठक का

आयोजन नहीं करना उनके कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है, तथापि पुनश्च निदेश दिया जाता है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन करते हुए निर्णित निर्णय संबंधी कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाए। उक्त बैठक में निर्णय हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपन्न समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
- वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों का भी स्थलीय निरीक्षण करना तथा निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई का प्रतिवेदन देना।
- विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत के अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना

✍


अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।

- ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि खास महाल क्षेत्र में अनाधिकृत तौर पर नए मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसपर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर एवं अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर नियमानुसार सी०आर०पी०सी० की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी इसका सतत् पर्यवेक्षण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।
 - दिनांक 01.06.2013 से मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन करते हुए प्रकाशन, दावा आपत्ति प्राप्त करने, निष्पादन करने एवं 01.08.13 से 15.08.13 तक प्रकाशित करने तथा भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्यक्रम प्राप्त है। सभी वरीय उपसमाहर्ता इस कार्य का प्रखंड/अंचल भ्रमण के दौरान नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना।
 - बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र-2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से करायें तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करना।
 - प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के प्रगति की भी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना। इसकी प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है।
 - राशन किरासन वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से यह जांच करेंगे कि अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को वापस उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं?
3. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए घटकवार पेंशनधारियों की संख्या सहित सूची यथशीघ्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त करेंगे ताकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त प्रथम तिमाही के आवंटन को उपावटित किया जा सके।
 4. उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर समय-समय पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना अन्तर्गत लंबित कार्यों को द्रुत गति से पूर्ण कराने हेतु संबंधित संवेदक एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण करेंगे।
 5. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए०सी० विपत्रों के लिए डी०सी० विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।
 6. प्रत्येक माह होने वाली टेक होम राशन (THR) के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि परिलक्षित अनियमितता के निमित्त कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं से समानुपातिक राशि के कटौती की कार्रवाई की गई है और कई सेविकाओं/सहायिकाओं को चयनमुक्त किया गया है। यह खेदजनक है कि THR दिवस में कई प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, अतः विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया गया कि तिथिवार आयोजित THR दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित करते

हुए यह सूची तैयार करें कि किन पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ताकि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।


7. विदित हो कि विभागीय निदेश के अनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर को जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करना है, जिसके अनुपालन की चर्चा के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा वाहन की समस्या से अवगत कराया गया है। जबकि यह ज्ञात हुआ कि आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा उन्हें वाहन हेतु 2,00,000/- रु0 आवंटन उपलब्ध कराया ~~जम्मा~~ है, इसके बावजूद अपने लिए किराए पर वाहन नहीं रखना, यह प्रदर्शित करता है कि वे अपने कर्तव्य के निर्वहन के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इसी परिपेक्ष्य में उन्हें निदेश दिया जाता है कि उक्त संबंधी संचिका अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए।
8. आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करते रहेंगे ताकि कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके।
9. महादलित श्रेणी के वैसे लाभुक, जिन्हें जमीन दिया गया है, परन्तु इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है तथा इंदिरा आवास तो मिला है, परन्तु जमीन का कागजात नहीं बना है, ऐसे मामलों की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी करते हुए via-versa कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पूर्व निदेश के बावजूद इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। अतः इस कार्य का सतत् अनुश्रवण अपर समाहर्ता, मुंगेर एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर सुनिश्चित करते हुए पूर्व में दिए गए निदेशों एवं विभागीय पत्रों के अनुरूप एक समेकित सूची तैयार करेंगे ताकि इसे Booklet के रूप में प्रकाशित कराया जा सके।
10. दिनांक 29.06.2013 को निर्धारित इंदिरा आवास दिवस की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयों यथासमय उप विकास आयुक्त, मुंगेर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव सभी आवश्यक कार्रवाईयों अपर समाहर्ता, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।


ज्ञापांक.....1093...../गो0, दिनांक.....25/06/2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...1093...../गो0, दिनांक...25/06/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।